राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमॉक प.2(4)न्याय/2014 जयपुर, दिनांक 1.6.2016

अधिसूचना

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, एतदद्वारा अधिसूचना दिनांक 05.02.2015 की निरन्तरता में समस्त पारिवारिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार संबंधित जिला न्यायालयों के पारिवारिक प्रकरणों से संबंधित स्थानीय क्षेत्राधिकार तक बढाया जाता है एवं अधिसूचना दिनांक 05.02.2015 द्वारा जिला न्यायालयों को प्रदत्त पारिवारिक न्यायालय से संबंधित मुकदमों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार समाप्त किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,
सही/-
(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमॉक :सामान्य/II/01/85(S)/ 781 दिनॉक : ....04../06/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर पीठ
2. रजिस्ट्रार सीपीसी को इस निवेदन के साथ की उक्त अधिसूचना को उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करावें
3. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश
4. समस्त पारिवारिक न्यायालय
5. प्र.अ.न्या. गोपनीय/ रा.न्या.से. स्था.शाखा/ अधी.न्या.स्था.शाखा/ सांख्यिकी/ बजट/ भवन/ कम्प्युटर शाखा (समस्त जिला न्यायालयों को ई मेल करने हेतु)

4/6/16
रजिस्ट्रार (नियम)